(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को फिल्म उद्योग से "केबल टी०वी०" और "डिश एंटीना" के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इन समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये 14 फरवरी, 1989 को एक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया है। इस समिति में राज्य सरकारों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, पायरेसी विरोधी कानून तथा उनका कार्यान्वयन, समिति द्वारा किये जाने वाले अध्ययन का एक मुद्दा होगा।

देश में जाली राशन कार्ड

*92. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाल में हजारों की तादाद में जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने हेतु कोई कानून बनाये जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राशन कार्ड स्वयं अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिये समय-समय पर जांच करते हैं। नागरिक पूर्ति विभाग ने हाल में उनसे अनुरोध किया है कि वे जाली राशन कार्डों/यूनिटों को छंटाई करने के लिये निरन्तर अभियान चलायें।

दिल्ली में प्रशासन द्वारा बिना शर्त सूचना के चुनी हुई उचित दर की दुकानों के पास दर्ज खाद्य कार्डों की जांच करने के लिये एक योजना बनाई गई थी। इस अभियान के परिणामस्वरूप 62,605 खाद्य कार्डों की जांच हो चुकी है और 14,853 मामलों में संबंधित व्यक्तियों को उन्हें खाद्य कार्ड जारी करते समय दिये गये पतों पर निवास करते नहीं पाया गया। इन मामलों में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल रोक दी गयी।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये उपयुक्त नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

Revision of Higher floor space Index in Bombay

*93. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have recently announced revised higher Floor Space Index for crowded localities including five star hotels, etc. in Bombay;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Central Government had sanctioned the revised FSI scheme of Bombay and if so, what was the advice given by the Central Government while sanctioning the higher FSI;